

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 27.05.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—35 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सन्तराम उर्फ ननके पुत्र स्व० रामप्यारे नि० ग्राम रकवा पसका थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—89/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. केशवराम पुत्र रामदेव नि० ग्राम देवी नगर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—136/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बिट्टा देवी पत्नी स्व० सग्राम नि० बरसैनिया लखपतराय मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—164/22, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ननके पुत्र सर्वादीन नि० केशईपुरवा मौजा नरायणपुर मांझा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—189/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कुसमा देवी उर्फ छोटका पत्नी रघुवर नि० ग्राम खिरौरा मोहन थाना को देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—195/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.05.2022

परिवारिक कलह में दामाद ने सास व पत्नी को मारा चाकू, सास की हुई ईलाज के दौरान मौत, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद:—

दिनांक 27.05.2022 को वादी सलमान पुत्र खलील नि० महाराजगंज नई बस्ती थाना को० नगर जनपद गोण्डा ने थाना को० नगर में तहरीर दी कि दिनांक 26.05.2022 को मेरा जीजा नसीम अपनी मां व अपने भाईयों के साथ मेरे घर आया था। परिवारिक कलह में जीजा व उसके परिजनों ने मेरी बहन बेबी व मां रेशमा को जान से मारने की नियत से गाली-गुप्ता देते हुए धारदार चाकू से वार कर दिया था। वादी की तहरीर पर थाना को० नगर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। ईलाज के दौरान वादी की मां रेशमा की मृत्यु हो गयी थी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा घटना को संज्ञान में लेकर क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में तत्काल आरोपी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के निर्देश प्र०नि० को० नगर को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त 03 आरोपी अभियुक्तों—01. नसीम, 02. अल्ताफ, 03. बेबी को गिरफ्तार कर लिया गया शेष आरोपी अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त:—

01. नसीम पुत्र रफीक नि० महाराजगंज थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. अल्ताफ पुत्र रफीक नि० महाराजगंज थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
03. बेबी पत्नी रफीक नि० महाराजगंज थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:—

01. मु०अ०सं०—354 / 22, धारा 323,504,506,307,302 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी:—

01. आलाकत्ल चाकू।

गिरफ्तार कर्ता टीम:—

- प्र०नि० पंकज कुमार सिंह थाना को० नगर मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.05.2022

नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना इटियाथोक क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के मां द्वारा थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. सोनू पुत्र संदीप नि० दर्जीजोत करमडीह कला थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु०अ०सं०-100/22, धारा 363,366,376 भादवि व 5ठ/6 पॉक्सो ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम:-

उ०नि० राकेश कुमार मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.05.2022

नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त अफरोज कुरैशी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 95 अल्प्रोजोलम की टेबलेट बरामद किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर में एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अफरोज कुरैशी पुत्र स्व० रफीक कुरैशी नि० पाण्डे बाजार चूड़ी गली थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-356/22, धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. अल्प्रोजोलम की 95 टेबलेट।

गिरफ्तार कर्ता—

उ०नि० नागेश्वर नाथ पटेल मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.05.2022

अवैध चरस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त संतोष सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 220 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर में एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. संतोष सिंह पुत्र राम बहादुर सिंह नि० सीताराम सिंह मौजा कुक नगर ग्रन्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा हालपता निकट पुलिस लाइन महिला थाना के पीछे पी०डब्ल्यू०डी० कालोनी थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—355/22, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 220 ग्राम अवैध चरस।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ०नि० संजीव सिंह मय टीम।

